राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोनः– 2708739 E-mail: rajssa.cce@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीसीई/उपचारात्मक शिक्षण/2020–21/13561 दिनांक : 10/8/2020

कक्षा 3–5 में शैक्षिक स्तर से न्यून विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण संचालन दिशा–निर्देश सत्र 2020–21

विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा के शैक्षिक स्तर से पीछे की कक्षा के स्तर पर होते हैं अथवा अपनी कक्षा में अपेक्षिक शैक्षिक स्तर से न्यून स्तर से होते हैं। प्रत्येक नये शैक्षिक सत्र में यह देखा जाता है कि कुछ बच्चे अपनी पिछली कक्षाओं के शैक्षिक स्तर को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ग्रीष्मावकाश के बाद जब बच्चे पुनः आगामी कक्षाओं में आते हैं तो बच्चे कुछ दक्षताओं को भूल जाते हैं। इसे अंग्रेजी में "समर लॉस" (summer loss) कहते हैं।

सत्र 2019–20 के दौरान कोविड–19 संक्रमण के कारण सम्पूर्ण देश में लॉक–डाउन लगाया गया। इस विषम परिस्थिति के कारण सत्रान्त (मार्च 2020) के दौरान सरकार द्वारा विद्यालयों का संचालन बन्द करना पड़ा। इस कारण विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया बाधित हुई है। इस लम्बे समय के अन्तराल के कारण विद्यार्थी नियमित कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया से वंचित रहे है। इस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय पुनः संचालन पर अतिरिक्त सम्बलन प्रदान करने की आवश्यकता है।

उपचारात्मक शिक्षण –

इस हेतु सत्र 2020–21 की कार्ययोजना में समग्र शिक्षा के माध्यम से सत्र 2020–21 में कक्षा 3–5 में नामांकित विद्यार्थी जिनका शैक्षिक स्तर जिस कक्षा में वे अध्ययनरत है, उनके अपेक्षित कक्षा स्तर से कम है, ऐसे विद्यार्थियों के साथ सीसीई शिक्षण विधा से विशेष शिक्षण करवाते हुए उन्हें कक्षा स्तर तक लाने हेतु उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

उद्देश्य –

1. विद्यार्थियों के कक्षा स्तर अनुरूप शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना।
2. सभी विद्यार्थियों को अधिगम सम्प्राप्ति अनुरूप तैयार करना।
3. लर्निंग गैप को न्यूनतम स्तर तक लाना।
4. कक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना।

विद्यालय स्तरीय गतिविधियाँ –

- **विद्यार्थी चयन का आधार –**
  - ✓ वर्तमान परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ कक्षा–कक्षीय शिक्षण कार्य लम्बे समय तक बाधित रहा है। अतः विद्यालयों के खुलने पर विद्यार्थी के साथ शिक्षण की शुरूआत करने तथा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री का उप्योग करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी के स्तर का यथासंभव सही आंकलन होना आवश्यक है।
  - ✓ विद्यार्थी के वर्तमान स्तर की सही जानकारी प्राप्त कर स्तर निर्धारण करने के लिए शिक्षक कक्षा 3–5 के प्रत्येक विद्यार्थी का सीसीई अन्तर्गत किए जाने वाले आधाररेखा आंकलन के आधार पर ही करेंगे।
  - ✓ विद्यालय खुलने के पश्चात प्रथम सप्ताह में एक प्रश्नपत्र/कार्यपत्रक (टूल) द्वारा विद्यार्थी का आधाररेखा आंकलन कर वास्तविक कक्षा स्तर पर पदस्थापन किया जाएगा।

• उपचारात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया –

- ✓ **कक्षा 3 से 5 में उपचारात्मक शिक्षण**– अधिगम प्रक्रिया वर्तमान में संचालित सीसीई कार्यक्रम में प्रयुक्त शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जाएगा।
- ✓ **योजना में शामिल करना** – शिक्षकों द्वारा शिक्षण से पूर्व शिक्षण की योजना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में शिक्षक कक्षा 3 से 5 के लिए सीसीई प्रक्रिया अनुसार पाक्षिक योजना में दैनिक योजना का निर्माण कर रहे है। शिक्षक अपनी योजना में उपचारात्मक शिक्षण को शामिल करते हुए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री का उपयोग करेंगे।
- ✓ **कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया में उपयोग** – शिक्षक अपनी कक्षा कक्षीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योजना अनुसार कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग करेंगे। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी के साथ स्तरानुसार समूहो में उपचारात्मक सामग्री का उपयोग करते हुए सम्बलन प्रदान कर पाऐंगे। इसका अर्थ है कि शिक्षक संपूर्ण कक्षा के लिए एक ही शिक्षण योजना बनाऐंगे परंतु अलग–अलग शैक्षिक स्तर के बच्चो को उनके स्तर के अनुरूप गतिविधियां कराऐंगे तथा उनके स्तर के अनुरूप ही कार्यपुस्तिका का उपयोग करेंगे। इससे बच्चों को अपने शैक्षिक स्तर को सुधारने एवं अधिगम गैप को कम करने में मदद मिलेगी।
- ✓ **रचनात्मक आंकलन में उपयोग** – विद्यार्थी द्वारा कार्यपुस्तिकाओं पर कार्य करने के पश्चात शिक्षक किये गए कार्य की जाँच करेंगे तथा किए गए काम पर सकारात्मक टिप्पणी लिखेंगे। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति का रचनात्मक आंकलन करने व उसको दर्ज करने में छात्र के प्रत्येक टर्म में किये गये कार्य, पोर्टफोलियों, कार्यपुस्तिकाओं में किये गये कार्य आंकलन आदि का उपयोग करेंगे।

• उपचारात्मक शिक्षण अधिगम सामग्री (कार्यपुस्तिका) –

उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कक्षा 3 से 5 के कक्षा स्तर से न्यून स्तर के विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए पिछली कक्षाओं की कोर दक्षताओं पर आधारित कार्यपुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है।

- ✓ कक्षा 3–5 के उपचारात्मक शिक्षण हेतु आधाररेखा आंकलन के आधार पर पदस्थापित छात्रों को उनके अधिगम स्तर अनुसार विषयवार कार्यपुस्तिकाएँ दी जायेगी। जिनका विवरण निम्नप्रकार है –

क्रम संख्या	विषय	कक्षा	कक्षा 3–5 के कक्षा स्तर से न्यून स्तर के बच्चो के लिए समेकित कार्यपुस्तिका
1	हिन्दी	3	कक्षा 1–2
2		4	कक्षा 3–4 व कक्षा 1–2
3		5	कक्षा 3–4 व कक्षा 1–2
4	अंग्रेजी	3	कक्षा 1–2
5		4	कक्षा 3–4 व कक्षा 1–2
6		5	कक्षा 3–4 व कक्षा 1–2
7	गणित	3	कक्षा 1–2
8		4	कक्षा 3–4 व कक्षा 1–2
9		5	कक्षा 3–4 व कक्षा 1–2

इन कार्यपुस्तिकाओं में दी गई विषय वस्तु का उपयोग निम्न रूप में किया जाना अपेक्षित है।

- शिक्षण के दौरान किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए।
- उस अवधारणा पर विद्यार्थियों को अभ्यास करने का अवसर प्रदान करने के लिए।
- अवधारणा पर विद्यार्थी की कितनी समझ बनी इसका आंकलन करने मे।

✓ कार्यपुस्तिकाओं का वितरण 29 फरवरी 2020 को गुणवत्ता दिवस पर आयोजित परीक्षा के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा। उक्त परीक्षा में जिन विद्यार्थियों द्वारा 65 प्रतिशत से न्यून प्राप्तांक प्राप्त किये हो, उन्हें प्राथमिकता से (न्यून से उच्च प्रतिशत की ओर) उक्त कार्यपुस्तिकाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाये।

✓ कक्षा 1 एवं 2 के स्तर की दक्षताओं पर कार्य करने के लिए एबीएल किट (विद्यालय में उपलब्धता अनुसार) का प्रयोग किया जाए।

- **शिक्षण समायावधि / कालांश निर्धारण –**

✓ कक्षा 3–5 हेतु उपचारात्मक शिक्षण विद्यालय समय में संचालित नियमित कक्षाओं में कक्षा प्रक्रिया (सीसीई प्रक्रिया) के दौरान उपसमूह बनाकर किया जायेगा तथा आवश्यकता अनुसार समय विभाजन चक्र में निर्धारित सातवें व आठवें कालांश के दौरान ही किया जा सकता है।

- **आंकलन एवं संधारित किये जाने वाले दस्तावेज –**

✓ शिक्षकों को उपचारात्मक शिक्षण हेतु पृथक से किसी अभिलेख का संधारण नहीं करना है। इस हेतु शिक्षक द्वारा सीसीई अंतर्गत उपयोग में लिए जा रहे – अध्यापक योजना डायरी, सतत रचनात्मक आंकलन अभिलेख पंजिका (चैकलिस्ट), परीक्षाफल रजिस्टर, पोर्टफोलियो का संधारण किया जायेगा।

✓ उपचारात्मक शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों का नियमित आंकलन कर विद्यार्थियों की अधिगम की स्थिति देख लिया जाना आवश्यक है।

✓ सीसीई के अंतर्गत संचालित रचनात्मक एवं योगात्मक आंकलन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आंकलन किया जाना है।

✓ सीसीई कार्यक्रम के अंतर्गत रचनात्मक आंकलन चैकलिस्ट एवं योगात्मक आंकलन चैकलिस्ट में कक्षा स्तर से नीचे के स्तर के कोर अधिगम सूचकों की सूची दी गई है। जो विद्यार्थी कक्षा स्तर से नीचे के स्तर पर हैं एवं जिनके साथ उपचारात्मक शिक्षण किया गया है उनके अधिगम की प्रगति को दर्ज़ करने के लिए रचनात्मक एवं योगात्मक आंकलन चैकलिस्ट में दिए गए सूचकों के सापेक्ष प्रगति को दर्ज़ करना है।

- **गतिविधि का संचालन एवं प्रक्रिया (शिक्षकों की भूमिका)–**

✓ बच्चों के मन से कोविड का डर हटाने और उन्हें दोबारा विद्यालय में समायोजित करने के लिए विद्यालय के पुनः संचालन पर प्रारम्भिक 5–6 दिन विद्यार्थियों के साथ रूचिकर गतिविधियाँ कराई जायें। इससे विद्यार्थी सहज हो पायेंगे और विद्यालय से उनका जुडाव बना रहेगा।

✓ उपचारात्मक शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने हेतु प्रारम्भिक रचनात्मक गतिविधियों के पश्चात् बच्चों का सीसीई प्रक्रिया के तहत आधाररेखा आंकलन एवं पदस्थापन किया जाए।

✓ आधाररेखा आंकलन एवं पदस्थापन के आधार पर कक्षा स्तर एवं कक्षा से न्यून स्तर के बच्चो का नाम रचनात्मक आंकलन चैकलिस्ट में दर्ज़ करे।

✓ उपचारात्मक शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने हेतु पाक्षिक शिक्षण योजना बनाकर (सीसीई में बनाई जाने वाली पाक्षिक योजना के हिस्से के रूप में) तदनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जाएगा।

- ✓ विद्यार्थियों के पदस्थापन के आधार पर कक्षा स्तर एवं कक्षा से न्यून स्तर के बच्चो को आवश्यकतानुसार कार्यपुस्तिकाएं वितरित की जाए।
- ✓ शिक्षण के दौरान कक्षा स्तर एवं कक्षा से न्यून स्तर के बच्चो को उनके स्तरानुसार कार्यपुस्तिका में कार्य करवाया जाएगा।
- ✓ रचनात्मक आंकलन एवं योगात्मक आंकलन की प्रक्रिया के अनुरूप विद्यार्थियों का नियमित आंकलन/मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें।
- ✓ शिक्षक का यह दायित्व है कि विद्यार्थी की प्रगति का नियमित आंकलन / मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें।
- ✓ शिक्षण एवं सतत आंकलन की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की अधिगम की प्रगति के अनुसार गतिविधियों में बदलाव कर यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करें।
- ✓ विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट समय–समय पर अभिभावक–शिक्षक बैठक में अभिभावकों के साथ साझा करें।
- ✓ विद्यार्थियों की प्रगति को सीसीई के योगात्मक आंकलन के लिए निर्धारित प्रपत्र में शाला दर्पण में दर्ज़ करें।

- **संस्था प्रधान के दायित्व –**
  - ✓ शिक्षक द्वारा किए गए आधाररेखा आंकलन एवं पदस्थापन की स्थिति की समीक्षा।
  - ✓ संस्था प्रधान की भूमिका शिक्षण के साथ–साथ सम्बलनकर्ता के रूप में रहेगी।
  - ✓ संस्था प्रधान नियमित कक्षाओं को सम्बलन प्रदान करें एवं निर्धारित प्रपत्र में आंकलन करते हुए टिप्पणी दर्ज करें।
  - ✓ विद्यार्थियों की विशेष शिक्षण कालांश में नियमितता एवं ठहराव पर समय–समय पर अभिभावक से चर्चा करें।
  - ✓ विशेष शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को एसएमसी/एसडीएमसी के साथ चर्चा कर समाधान के प्रयास करें।
  - ✓ एसएमसी/एसडीएमसी एवं अभिभावकों से विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करें।
  - ✓ शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के आधाररेखा आंकलन एवं पदस्थापन के आधार पर तैयार पाक्षिक शिक्षण अधिगम योजना की समीक्षा।
  - ✓ विद्यार्थियों के पदस्थापन के आधार पर कार्यपुस्तिकाओं के वितरण एवं नियमित प्रयोग की स्थिति की समीक्षा।
  - ✓ शिक्षक द्वारा संचालित शिक्षण प्रक्रिया एवं नियमित आंकलन दर्ज़ करने की स्थिति की समीक्षा।

- **पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका –**
  - ✓ पंचायत क्षेत्र में सभी विद्यालयों में गुणवत्ता दिवस के परिणामों के आधार पर समुचित संख्या में कार्यपुस्तिकाओं की उपलब्धता एवं विद्यार्थियों के पदस्थापन के आधार पर कक्षा स्तर एवं कक्षा से न्यून स्तर के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर वितरण की स्थिति की समीक्षा।
  - ✓ संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण–अधिगम योजना की नियमित समीक्षा की स्थिति की समीक्षा।
  - ✓ उपचारात्मक शिक्षण संचालन करने में शिक्षकों को आने वाली अकादमिक चुनौतियों के संदर्भ में नियमित रूप से सी बी ई ई ओ कार्यालय के माध्यम से डाईट को अवगत कराना।

- ✓ उपचारात्मक शिक्षण संचालन में शिक्षकों को आने वाली अकादमिक चुनौतियों पर पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध दक्ष प्रशिक्षक से सहयोग उपलब्ध कराना।
- ✓ शाला दर्पण पोर्टल पर योगात्मक आंकलन दर्ज़ करने की स्थिति की समीक्षा।

- **मॉनीटरिंग –**
  - ✓ जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
  - ✓ व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
  - ✓ राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश, MHRD की गाईडलाईन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
  - ✓ गतिविधि के प्रभावी संचालन हेतु सम्बन्धित सीबीईओ/पीईईओ नियमित अवलोकन एवं सम्बलन प्रदान करें।
  - ✓ विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप विषयवार कक्षाओं का संचालन की समीक्षा संस्थाप्रधान, पीईईओ एवं एसएमसी/ एसडीएमसी द्वारा नियमित की जाए।
  - ✓ ब्लाक एवँ जिला स्तर (प्रा.शि.एवं मा.शि.) के अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग की जायेगी।
  - ✓ अकादमिक सम्बलन का दायित्व डाइट एवं एससीईआरटी उदयपुर का होगा।
  - ✓ DAG/DCG की मासिक बैठकों में गतिविधि की प्रगति की समीक्षा की जाए।

07/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीसीई/उपचारात्मक शिक्षण/2020–21/13561 दिनांक : 10/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूलशिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
9. अति रिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. कार्यालय प्रति।

10.8.20

अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम